Status of implementation of recommendations contained in the Eighty-Second and Eighty-Fourth Reports of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): Sir, I lay a copy each of the statements.

Status of implementation of recommendations contained in the Eighteenth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Finance

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI M.V. RAJASEKHARAN): Sir, I lay a copy of the statement.

SHORT DURATION DISCUSSION

Import of wheat and agrarian distress *-Contd.*

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): उपसभापति महोदय, देश के सामने आजकल एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है, इस समस्या के बारे में राजनीति को दूर रखकर कोई कदम उठाने की आवश्यकता है और किस तरह से हम कदम उठा सकते हैं, इस बारे में अच्छे सुझाव सदस्यों ने यहां दिए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश के किसानों के सामने आत्महत्या जैसी परिस्थिति पैदा हो रही है। वैसे कहें तो यह परिस्थिति आज की नहीं है, मगर यह स्थिति इस देश में रहने वाले आप, हम, सभी के लिए एक तरह की चिंता पैदा करने वाली है।

यह बात सच है कि एक जमाने में भारत खाद्यान्न इम्पोर्ट करने वाला देश था, लेकिन पिछले कई सालों में देश की फूड सिक्युरिटी की समस्या हल करने के लिए, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, इस देश को कामयाबी मिली, इसका बहुत बड़ा श्रेय इस देश के किसानों को दिया जाना चाहिए और देशवासियों ने उनको श्रेय दिया भी है। इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने जो पिछले कई सालों में काम किया - नया रास्ता दिखाया, नए बीज पैदा किए, नई टैक्नोलॉजी पैदा की, इसका भी असर देश के कृषि उत्पादन पर अच्छा हुआ, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मगर, पिछले कई सालों से जो एक राष्ट्रीय उत्पादन की आवश्यकता थी, ग्रोथ रेट की आवश्यकता थी, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, मगर इस साल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे यह बात साबित हुई कि हमारा ग्रोथ रेट 4 परसैंट होने की आवश्यकता थी और जो टारगेट हम लोगों ने तय किया था, उस टारगेट के आसपास हम लोग इस साल पहुच रहे हैं। एक तरफ इस टारगेट के आसपास हम पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ कई फसलों के बारे मे हमारा उत्पादन भी ठीक है और तीसरी तरफ हम यह परिस्थिति देख रहे हैं कि आत्महत्याओं की स्थिति में लगातार पिछले कई वर्षों से कोई बदलाव नहीं आया है।

गेहूं के आंयात की परिस्थिति भी आज इस देश के सामने और इस सरकार के सामने आई है। आत्महत्या के बारे में इससे पहले इस सदन में दो बार बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था

और श्री मनमोहन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बारे में कुछ कदम उठाने की तैयारी भी की थी और कदम उठाए भी गए। यह बात सच है कि इसके लिए हमने एक कार्यक्रम को तैयार करने की पहल दिखाई और देश के चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों की मीटिंग पिछले महीने मैंने हैदराबाद में बुलाई थी। इसमें केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, इन चार राज्यों के मुख्य मंत्री, मंत्री एवं मुख्य सचिवों को हमने आमंत्रित किया था क्योंकि इन चार राज्यों में तीस के आस-पास ऐसे ज़िले हैं, जहां पर इस देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या के केसिज़ सामने आए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इन चार राज्यों को छोड़ कर बाकी राज्यों में ऐसी परिस्थिति नहीं है, मगर ग्रैविटी में फर्क है। चार राज्यों के इन तीस ज़िलों की परिस्थिति ज्यादा गंभीर है, यह आंकड़ों के माध्यम से साबित हुआ है। डिटेल्ड डिस्कशन करके वहां पर हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम तैयार किए, जिसके बारे में मैंने मुख्य मंत्रियों के साथ बात-चीत की है। भारत सरकार जल्दी से जल्दी इस पर अंतिम निर्णय लेगी एवं उसके बारे में मैं बाद में सदन में अवश्य बताऊंगा। इससे हमारे सामने एक बात अवश्य आई है कि यह आत्महत्या की समस्या केवल इन चार राज्यों तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले एक बार इसी सदन में मेरे कुछ आंकड़े देने के बाद हमारे आन्ध्र प्रदेश के सहयोगी श्री रेड्डी साहब ने कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन सदन के सामने रखने का प्रयास किया था। मेरे पास जो आंकड़े थे, मैंने वह प्रत्येक राज्य से मांगे थे और राज्य सरकारों ने हमारे पास जो फिगर्स भेजी थीं, वे उन पर आधारित थे। अब हम जो फिगर्स कलैक्ट करते हैं, उनका सोर्स दूसरा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रति वर्ष, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जितने भी क्राइम होते हैं, चाहे मर्डर हों, चाहे थेफ्ट हों और चाहे सुसाइड्स हों, इनका रिकॉर्ड रखना कम्पल्सरी होता है और उन सभी राज्यों के सभी पुलिस थानों का रिकॉर्ड भारत सरकार के गृह मंत्रालय में इकट्ठा होता है, उन्हीं से गृह मंत्रालय का ब्यूरो ऑफ क्राइम विभाग एक किताब हर साल प्रिंट करके देश के सामने रखता है। इससे देश में कितनी आत्महत्याएं हुईं, इसके पूरे आंकड़े देश के सामने आते हैं।

1995 से इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और वह बदलाव ऐसा है कि आत्महत्या या जनरल आत्महत्या की जो जो इन्फॉर्मेशन थी, इसका एक दूसरा हिस्सा देने की शुरुआत की गई कि इन आत्महत्याओं में किसानों के द्वारा की गई आत्महत्याएं कितनी हैं। इसकी अलग फिगर्स देने की शुरुआत 1995 से हुई है।

मेरे पास 2003 तक के लेटेस्ट फिगर्स मौजूद हैं, लेकिन पिछले 30 या 40 वर्षों के फिगर्स को पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं, पिछले पांच-छः वर्ष की स्थिति क्या है, मैं केवल उसके बारे में बताऊंगा। 1998 में देश में 1,00,4,713 लोगों ने आत्महत्या की थी और इन 1,00,4,713 लोगों में 16,015 किसान परिवार के लोग थे। 1999 में एक लाख चार हजार की जनरल फिगर एक लाख दस हजार पांच सौ अस्सी हो गई और इनमें से किसानों की फिगर सोलह हजार अस्सी हो गई, यानी जो टोटल आत्म हत्याएं हुईं उनमें से 14.5 परसेंट आत्म-हत्याएं किसानों की थी। 2000 में देश में एक लाख आठ हजार पांच सौ नब्बे आत्म-हत्याएं हुईं, इनमें किसान परिवार के लोग सोलह हजार तीन सौ छः थे। 2001 में एक लाख आठ हजार पांच सौ छः आत्म- हत्याएं हो गईं, इनमें से किसान परिवार के सोलह हजार चार सौ पंद्रह लोग थे। 2002 में एक लाख दस हजार चार सौ पन्द्रह आत्म हत्याएं हुईं, इनमें किसान परिवार के लोग एक लाख सत्तर हजार नौ सौ इकत्तर अर्थात् 16 प्रतिशत थी।

In the year 2002, the total figure of suicides was 1,10,417. Out of that, from farming community, it was 17,971. That means 16.3 per cent. In the year 2008, the total number was 1,10,851. Out of that, from farming community, it was 17,164. That means 15.5 per cent was from farming community.

इससे एक बात साबित होती है कि पिछले कई सालों तक देश में जो आत्म हत्याएं होती हैं उसमें किसान परिवार के लोग बिटवीन फिफ्टीन टू सिक्सटीन परसेंट होते हैं। जैसे आबादी बढ़ रही है, इससे थोड़ा सा जनरल आत्म-हत्या के जो केसेज होते हैं इनका परसंटेज भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है और इसमें किसानों की भी वही स्थिति है, परसंटेज भी वही है। मगर फिगर थोड़ी बहुत बढ़ रही है। ऐसी स्थिति इस माध्यम से सब के सामने आ रही है और यह रिकार्ड 1950 से देश के सामने है। मगर 1995 से इसमें सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को सेग्रेट करने का काम इससे हुआ है। जिन राज्यों में और जिन जिलों में ज्यादा आत्म-हत्याएं हुईं इस बारे में डिटेल्ड स्टडी करने के लिए इन राज्यों की सरकारों ने कुछ प्रोफेशनल आर्गनाइजेशन, कुछ मेनेजमेंट आर्गनाइजेशन या खुद स्टेट गवर्नमेंट ने ही कोई एक्सपर्ट कमेटी अपोइंट करके इसमें डिटेल्ड स्टडी की गई है। इसमें कई आर्गेनाइजेशंस की स्टडी है। कर्नाटक में एक एक्सपर्ट के नाम पर कमेटी अपोइंट की, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है जिसने भी कुछ काम किया है, यशोदा ने कुछ काम किया है, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज ने काम किया है। पंजाब की सरकार ने एक एक्सपर्ट को अपोइंट करके कमेटी गठित की, इसकी भी रिपोर्ट आई है। केरल में इसी तरह से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है, आन्ध्र में भी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है। MANAGE, जो भारत सरकार की कमेटी थी जिसका जिक्र मैंने इसी सदन में इससे पहले किया था, वह मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने खास तौर पर आन्ध्र में स्टडी बड़ी गहराई से की है। इनकी भी रिपोर्ट आई है। मगर इन सभी की रिपोर्ट देखने के बाद अलग-अलग राज्यों के इनमें से कुछ इश्यूज कॉमन हैं और इसमें पहला इश्यू जिसका जिक्र शरद जोशी जी ने किया और कई सदस्यों ने किया is indebtedness, because of the natural calamity, because of the uncertainty by failure of the monsoon and ultimately, resulting in the failure of the crop और इस स्थिति में भले बैंकों से या सरकारी संस्थाओं से उन्होंने ऋण लिया होगा और उनकी ऋण को वापिस करने की क्षमता नहीं रही और बाद में यह डिफॉल्टर बन गया और अपने सिस्टम में एक बार डिफॉल्ट होने के बाद उनकी क्रेडिट लाइफ बंद होती है और फिर जब बैंक या कोआपरेटिव इंस्टीट्यूट से उनका पूरा रास्ता बंद हो जाता है तब वह प्राइवेट, मनी लेंडर के पास जाता है। शरद जोशी जी का कहना यह है कि यह भी एक सिस्टम रहने की आवश्यकता है, इसमें अलग बहस हो सकती है। मगर इन प्राईवेट मनी लैंडर्स के बारे में, कई राज्यों की रिपोर्ट यह बताती है कि प्राईवेट मनी लैंडर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 परसेंट से 40 परसेंट तक है और उसको वापिस करने की ताकत उन किसानों की नहीं रही और इनमें से कई केसेज़ आत्महत्या के रास्ते पर जाते हैं। यह जनरल बात सभी रिपोर्ट्स में सामने आई है।

दूसरी बात यह है कि जो लोन मिलता है, जो ऋण मिलता है, इसमें भी एक स्थिति है। आज क्रॉप लोन की उपलब्धता देश में है, फसल के लिए पैसा मिलता है, सभी को मिलता है, जो डिफाल्टर हैं, उनकी स्थिति अलग है। मगर कुछ कदम भारत सरकार ने उठाये हैं जिनमें

फसल के लिए पैसे देने का प्रबंध किया गया है। इसमें बढ़ोत्तरी भी हुई है, इसके बारे में, मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले फसल के साथ-साथ जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, किसी को ट्यूबवैल लगाना है, किसी को ट्रैक्टर लेना है, किसी को एग्रीकल्चर के लिए और कोई इम्पलीमेंट लेने की आवश्यकता है, किसी को ऑयल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर लगाना है या किसी को पाइप लाइन लगानी है, इसके लिए आज तक किसानों को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी इस देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में लैंड डेवलेपमेंट बैंक नाम के इंस्टीट्यूशन की थी। आज लैंड डेवलेपमेंट बैंक नाम के इंस्टीट्यूशन इस देश में 90 परसेंट से ज्यादा राज्यों में और जिलों में खत्म हुए हैं। यह जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की आवश्यकता है, यह इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का रास्ता आज किसानों के लिए खुला नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए खुला हो सकता है। इससे कई जगह पर ऐसा होता है कि फसल के लिए पैसा लिया और उसमें से कहीं पर रकम डायवर्ट की कैपिटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के बारे में हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होगी। तीसरी समस्या कंजम्पशन लोन के बारे में है। कई परिवारों के उदाहरण हमारे सामने रिपोर्टों के माध्यम से आये हैं कि किसानों ने फसल के लिए पैसा ले लिया, घर में कोई बीमार पड़ गया या फसल के लिए जो लागत लगाने की आवश्यकता थी, वह लागत नहीं लगाई और उस पैसे को बीमारी के कारण डाक्टर को या अस्पताल को देने का इंतजाम किया। कई ऐसे केसेज़ हैं कि फसल के लिए पैसा लिया, क्रॉप लोन ले लिया और घर में बच्ची की शादी निकली और शादी की समस्या गंभीर थी, इसलिए वह पैसे डायवर्ट हो गये, खेती में नहीं लगाये गये और वह पैसे शादी में खर्च कर दिये गये। मेरे सामने कई केसेज़ ऐसे भी आये हैं कि किसी दूसरी वजह से घर में गंभीर परिस्थिति है अथवा बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता है, तो इससे फसल के नाम पर पैसे ले लिये और उनकी फीस और बाकी सब काम करने के लिए पैसे ले लिये, जिनके लिए रकम की आवश्यकता थी, वह पैसे वहां पर डायवर्ट किये। वह पैसे फसल के नाम पर लिए, मगर वह पैसे एक्च्युअली में फसल के लिए खर्च नहीं किये गये, वह डायवर्ट किये गये, उन पैसों को वापिस करने की जो ताकत चाहिए, वह ताकत इसमें रही नहीं और इस कारण से भी ये लोग आत्महत्या के रास्ते पर भी गये, ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं। आज हमें इसके बारे में गहराई से सोचना होगा। श्री शरद जोशी जी कहते हैं कि आप इनके सिर पर और बोझ मत दीजिए, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। उनको आवश्यक रकम देने का इंतजाम करना होगा, मगर इसके साथ-साथ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इस पर विचार करना होगा। जैसे फसल के लिए पैसे देने का इंतजाम करना होगा, वैसे ही इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की जो आवश्यकता है, इसके लिए भी पैसे देने के लिए इंतजाम करना होगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और पैसे वापिस करने का जो समय है, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि कंजम्पशन क्रेडिट के बारे में आज तक देश में सोचा नहीं गया है, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। हम इसके बारे में सुझाव अपने मंत्रालय के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, क्योंकि इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके बारे में अलग-अलग रीजन्स हमारे सामने आ रहे हैं और इनमें से कई बड़े इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं। इस बारे में सभी इंस्टीट्यूशंस से जो नतीजे निकले, उससे बात साफ हुई। उसमें और दो-तीन बातें हैं। पहला, कई राज्यों में मोनोक्रॉप, एक ही किस्म की क्रॉप कॉन्टीन्युअसली रही। अगर आप अनन्तपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आपको वहां एक ही क्रॉप मिलेगी, मूंगफली यानी ग्राउंडनट। इसी तरह आप पंजाब में देखिए, वहां वही रोटेशन है, व्हीट-राइस, व्हीट-राइस और व्हीट-राइस। शायद देश की समस्या का हल करने के लिए व्हीट-राइस ने बड़ा काम किया होगा,

मगर इससे पंजाब के किसानों का लॉंग टर्म और हरियाणा के किसानों का कितना नुकसान हुआ है, यह भी देखने का समय आ गया है। ग्राउंड लैवल वॉटर का लैवल खत्म हो रहा है, नीचे जा रहा है। सॉयल का टेक्सचर खराब हो रहा है और पर-हेक्टेयर यील्ड जो आता था, उसमें स्टैगनेशन आया है - चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, वहां यह परिस्थिति पैदा हो रही है। इसलिए मोनोक्रॉप के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जहां इसके बारे में नहीं सोचा गया है, वहां समस्या पैदा हो गयी है। एक और बात है। यह बात साबित हुई कि इन सभी किसान परिवारों का इनकम सोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर ही है, कृषि ही है। कृषि के अलावा दूसरे माध्यम से उनके परिवार में इनकम आने का कोई रास्ता नहीं है। जिन परिवारों में सप्लीमेंटरी इन्कम का प्रबंध है, उनकी स्थिति अलग है। भले ही परिवार के लोग खेती करते हैं लेकिन उनके परिवार का एक बच्चा अगर सरकारी नौकरी में या बैंक में काम करता है, तो उनकी स्थिति अच्छी है, कोई छोटा-मोटा उद्योग करता है, तो उनकी स्थिति ठीक है, सप्लीमेंटरी इनकम आती है, उन किसान परिवारों की स्थिति अलग है और अच्छी है। लेकिन खाली एग्रीकल्चर के प्रोफेशन पर जो किसान डिपेंड करते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, यह बात भी इससे साबित हो रही है। सप्लीमेंटरी इनकम के लिए डेयरी, पॉल्ट्री - बर्ड फ्लू की समस्या सामने आ गयी, वह बात छोड़िए - लेकिन जहां डेयरी डेवलपमेंट, कैटल इम्प्रूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है - खास तौर पर आप आनन्दखेड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में जाकर देख सकते हैं, बनासकांठा जैसे सूखे प्रदेश में भी जाकर देख सकते हैं कि वहां दूध से ज्यादा इनकम हो रही है - वहां यह समस्या ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हमें यह भी सोचना होगा कि जिस तरह से हमें क्रेडिट की समस्या हल करनी होगी, इसके साथ-साथ हमें क्रॉप सिस्टम के बारे में भी सोचना होगा, सप्लीमेंटरी इनकम देने का रास्ता भी हमें ढूंढना होगा। इसके अतिरिक्त एक और बात साबित हुई है कि वहां ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, जिन जिलों में पानी की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। जिन राज्यों में इरीगेशन के लिए कम लागत हुई है, खेती के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए अभी तक कामयाबी नहीं मिली और हमेशा हम इरेटिक मानसून पर निर्भर रहते हैं, वहां यह परिस्थिति अति गंभीर है इसलिए जो कुछ करना होगा, ये सभी मुद्दे सामने रखकर हमें इसका जवाब ढूंढना होगा और कोई आल्टरनेटिव उन लोगों को देना होगा, उन जिलों को देना होगा, सरकार को देना होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को देना होगा। हम लोग राज्य सरकार के सभी लोगों के साथ बातचीत करके इस बारे में जो पैकेज तैयार कर रहे हैं, उस पैकेज का थ्रस्ट इस पर रहेगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां का इरीगेशन परसंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं, टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंशियल सर्पोट जो इरीगेशन के लिए इन राज्यों को होता है, इनमें से इन जिलों को अलग करके एक स्पैशल मदद किस तरह से कर सकते हैं। इनकी इस स्थिति में सुधार करने के लिए भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात यहां बताई गयी कि इसमें कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं किया गया है। यह बात सच है कि कई सालों से यह समस्या है, लेकिन यूपीए की सरकार के इस देश में हुकूमत में आने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर को देने की तैयारी दिखाई गयी। इस सरकार के हुकूमत में आने के बाद पहले 15 दिन में क्रेडिट की समस्या हल करने के लिए एक बेसिक डिसीज़न अनाउंस किया गया और इसका अमल पिछले दो साल से शुरू हुआ है। ऐग्रेरियन सैक्टर की जो समस्या दिन-ब-दिन गंभीर हो रही है, इसे मद्दे-नज़र रखते हुए An Agricultural Coordination Committee headed by the Prime Minister, with all senior Ministers as its Members, has been constituted. जिसमें रेग्युलर रिव्यू इस सेक्टर में हमारा ग्रोथ रेट किस तरह से हम

बढ़ा सकते हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या-क्या करने की आवश्यकता है, इस पर डीटेल्ड डिसकशन होता है, कई रास्ते निकालने के काम भी होते हैं। तो इस देश में सूखे की समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने रेनफेड अथॉरिटी इस देश के सामने 15 अगस्त को एनाउंस की, इसका अभी गठन हुआ और यह जो ड्राईलैंड फार्मिंग की समस्या है, आज देश में चालीस प्रतिशत इरिगेटेड लैंड है, बाकी साठ प्रतिशत जमीन इरैटिक मानसून पर निर्भर रहती है। कई जगहों पर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरे करने की परिस्थिति में हैं, मगर कई जगहें ऐसी हैं, जहां हम इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर सकते, मगर जो कुछ बारिश होगी, जो पानी उसमें आएगा, उस पानी को हम ठीक तरह से रोक सकें, सबसाइड वाटर लैवल हम इंप्रूव कर सकें, नया क्रॉप सिस्टम वहां दे सकें, तो इन किसानों की परिस्थिति भी बदल सकती है, इसलिए रेनफेड अथॉरिटी इस देश में इस संबंध में काम करने वाला एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर काम होता था। मेरी मिनिस्ट्री में काम होता था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में काम होता था, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में काम होता था, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से कुछ काम होता था, तो सभी अलग-अलग जो काम होते थे, उनको एक दिशा देकर, एक डायरेक्शन देकर काम करने के लिए अथॉरिटी तैयार करने का काम आज इसमें हुआ है और मुझे विश्वास है कि इससे परिस्थिति में एक नया कार्यक्रम देश के सभी जिलों में, जैसे इम्प्लॉयमेंट गारंटी या भारत निर्माण, इस पर बड़ा जोर देने का काम हुआ है, इसके माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को एक तरह से ताकत देने की बात शुरू हुई है, इस तरह से सभी कार्यक्रमों को महत्व देने का काम आज यहां हुआ है।

जो कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार किए थे, इस सरकार के आने के बाद, इसमें चार-पांच ईश्यूज़ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई।

Common Minimum Programme of the UPA इनमें से stepping up public investment in the sector in a significant manner and accordingly highest priority to the irrigation for investment; nursing back to health the rural cooperative credit system; doubling the flow of rural credit within three years, easing the burden of debt and high interest rate on the farm loans making more effective crop and live stock insurance scheme; introducing special programme for dry land farming in the arid and semi-arid area; taking up watershed and wasteland development programme on a massive scale. ये सभी सुझाव जो सामने आए थे, जिनको स्वीकार भी किया गया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, इनमें से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कदम उठाने का काम पिछले डेढ़ साल में हुआ है। मुझे यह कहने में खुशी होती है कि इसमें पहला प्वाइंट है क्रैडिट के बारे में। 2004 में किसानों को जो टोटल क्रैडिट मिलता था, इससे पहले 86,000 करोड़ था, जो क्रॉप ऋण के माध्यम से दिया जाता था। यू.पी.ए. की सरकार के आने के बाद 1 लाख 5 हज़ार करोड़ का टार्गेट किया गया, और 31 मार्च, 2005 तक 1 लाख 25 हज़ार 309 करोड़ रुपए का एक्चुअली एक्ज़ीक्यूशन हुआ। टार्गेट से भी 32 परसेंट ज्यादा क्रैडिट फ्लो देने में पहले साल कामयाबी हुई। इसके साथ-साथ, 66.32 lakhs new farmers have been financed by commercial banks and RRBs as against the target of 50 lakhs. Besides, cooperative banks also

financed around 12.52 lakh new farmers taking the total number of the new farmers financed during the year to 78.84 lakhs.

जो टार्गेट से प्रैक्टिकली 35 परसेंट से ज्यादा था। हम यहीं नहीं रुके, डेट रिलीफ का जो प्रोग्राम हाथ में लिया था, इसे पहले ही साल an amount of Rs. 11,710 crores has been provided as debt relief by all agencies on 31st March 2005 and under the special one-time settlement scheme old and perennial loans amounting to Rs. 756 crores have been settled and commercial banks have also taken definite responsibility. In the next year, that is, 2005-06, the target for agriculture credit flow was fixed at Rs.1,41,000 crores and the achievement up to 31st March, 2006, was Rs.1,57,479 crores; that is, up to 111.9 per cent target has been fulfilled by this Government. Along with this, 42 lakh new farmers have been benefited. I do not want to go into the details. But the latest figure इस साल की जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, जो हमारा टार्गेट था उससे सौ परसेंट से भी ज्यादा टार्गेट ऊपर जाने की परिस्थिति पैदा हुई है। ये सभी फिगर्स इस बात को साबित करती हैं कि आत्महत्या के पीछे नॉन एवेलेबल्टी ऑफ क्रेडिट जो एक समस्या थी, इस सरकार ने सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दिया और इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार करने का प्रयास किया गया। जो रेट ऑफ इन्टरेस्ट की बात हुई है, मैंने पिछले साल इसी सदन में कहा था कि देश के कई राज्यों या जिलों में जाने पर, किसान मुझसे सवाल पूछते हैं कि यदि किसी को मारुति गाड़ी खरीदनी है तो क्या उसको आठ परसेंट रेट ऑफ इन्टरेस्ट से कर्जा मिल सकता है या अपार्टमेंट लेना हो तो उसको आठ परसेंट रेट ऑफ इन्टरेस्ट मिलता है, तो बारह, तेरह या चौदह परसेंट पर प्राप्त करने के लिए किसानों को इतना महंगा कर्जा क्यों देते हैं? इस इश्यु पर बड़ी डिटेल में हमारी सरकार में डिसकशन हुई है और मुझे खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट स्पीच में 7 परसेंट रेट ऑफ इन्टरेस्ट एनाऊंस किया। इसमें कई राज्य सरकारें हैं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन्होंने अपना एक परसेंट कम करने का डिसिजन ले लिया है और 6 परसेंट पर क्रॉप लोन देने की तैयारी आज देश के कई राज्यों में हो गई है। यह बात सच है कि डॉ. स्वामीनाथ कमेटी ने ...**(व्यवधान)**...

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : रेट ऑफ इन्टरेस्ट में एमाउंट कम है। कितने एमाउंट पर आपको रेट ऑफ इन्टरेस्ट 6 परसेंट या 7 परसेंट मिलेगा, वह दो या तीन-लाख का है। आज ट्रैक्टर पांच लाख का आता है। अगर उसको किसान विद एसेसरीज खरीदता है तो वह सात लाख में पड़ता है।

श्री शरद पवार : देखिए, यह क्रॉप लोन है। NDA सरकार में अटल जी ने पचास हजार तक 9 प्रतिशत की दर से क्रॉप लोन देने का एक डिसिजन लिया था। इसकी लिमिट पचास हजार थी। माननीय चिदम्बरम जी ने पार्लियामेंट में जो एनाउंसमेंट की है, उसका अमल इस जून से शुरू होना है। जो पचास हजार की लिमिट थी, उसे बढ़ाकर तीन लाख तक ले गए हैं और उसकी दर को 9 परसेंट से घटाकर आठ परसेंट कर दिया है। किसानों को जो क्रॉप लोन की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा ऐवरेज किसान के पैसे नहीं लगते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन यदि फसल के लिए सीड लेना हो, फर्टिलाइजर लेना हो या बाकी कोई खेती के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है, इसमें इतनी ज्यादा

रकम नहीं लगती है और हम यह नजर अंदाज नहीं कर सकते कि इस देश के अस्सी प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं। इनके लिए जो तीन लाख की लिमिट, इस पर भी पैसे लेने की आज उनकी ताकत नहीं है, भले ही उनको बैंक देने के लिए तैयार है। इतनी रकम लेने की ताकत आज उनमें नहीं है, तो 7 परसेंट रेट ऑफ इन्टरेस्ट नीचे लाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ इसी बजट में पिछले दो सालों में जिन किसानों ने ज्यादा रेट ऑफ इन्टरेस्ट दिया है, उनको 2 परसेंट डायरेक्ट बैंक में मार्च, 30 से पहले देने का काम भारत सरकार ने किया है। इसके लिए 17 करोड़ रुपए देश के सभी बैंकों में 30 मार्च, 2006 में डाले गए और डायरेक्ट उन किसानों के एकाउन्ट में देने की इन्स्ट्रक्शन्स हर बैंक को गई है। यह 2 परसेंट की जिम्मेदारी भी आज भारत सरकार ने ली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट इश्यु है, इस पर भारत सरकार ने बड़ा ध्यान दिया है और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी, भारत सरकार ने यह कदम भी उठाने की तैयारी की है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी यह कहना है कि An amount of Rs.5,60,00,000 has been disbursed up to December, 2005. अगर किसी वजह से, किसी का एक्सीडेंट हो गया या permanent disability हो गई, तो up to Rs. 50,000 and Rs. 25,000 respectively, इनका इंश्योरेंस करने का भी काम हुआ है और आज An amount of Rs.57,000 crores has been approved by various banks for the farmers who hold the Kisan Credit Cards and whose number is five crore and sixty-six thousand.

उपसभापति महोदय, यह बात सच है कि आज देश के कोऑपरेटिव बैंकों और सोसायटीज़ की स्थिति खराब हुई है। जैसा शायद कलराज मिश्र जी ने बताया, यह बात सच है कि एक ज़माना ऐसा था कि किसान बहुत बड़े पैमाने पर गांव की कोऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से खेती करने के लिए पैसे लेता था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। पिछले 2 सालों के जो आंकड़े आए हैं, उनके हिसाब से The total disbursement by cooperative institutions in the entire country is 27 per cent and the total disbursement by all commercial banks, regional banks, altogether, is somewhere near 62 per cent. आज कमर्शियल बैंकों का इसमें ज्यादा हिस्सा है, लेकिन यह बात सच है और मैं आपसे सहमत हूं कि कोऑपरेटिव सोसायटी आज हर गांव में पहुंची है, हर किसान तक पहुंची है और इन कोऑपरेटिव सोसायटीज़ की हैल्थ इसलिए खराब हुई, क्योंकि वे स्थगित हुईं, default हुईं, इसलिए आज इनमें किसान को पैसे देने की ताकत नहीं रही है। इनकी हैल्थ को दुरुस्त करने के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स का गठन किया गया और उन्होंने एक साल तक देश के सभी राज्यों की स्टडी करके हमारे सामने रिपोर्ट दी कि इन सभी कोऑपरेटिव सोसायटीज़ की हालत में सुधार करना हो, तो उनको आज तक जो नुकसान हुआ है, जो losses हुए हैं, उन losses की पूर्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सोसायटीज़ में लोन देने की ताकत नहीं रही है और न किसानों में लोन को चुकता करने की ताकत रही है। ऐसे losses की जिम्मेदारी करीब 14,000 करोड़ रुपए की है। भारत सरकार ने इस बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन किया, रिज़र्व बैंक को confidence में लिया, NABARD को confidence में लिया और हम लोगों ने एक पैकेज तैयार किया कि इन losses में से 12,000 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी और जिन राज्यों में कोऑपरेटिव सोसायटीज़ हैं या कोऑपरेटिव बैंक हैं, वहां के अच्छे बैंक और वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स, बाकी 2,000 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी लेंगी। यह पूरा पैसा सोसायटीज़ में डिपॉजिट करने की तैयारी की गई और ये

सोसायटीज़, इन पैसों को District Central Cooperative Bank में भरेंगी, जिनसे उनकी हैल्थ सुधरेगी, उनका default दूर होगा और इससे District Central Cooperative Bank की भी हैल्थ सुधरेगी और कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के माध्यम से किसानों को क्रेडिट मिलने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए यह एक बड़ा निर्णय लिया गया। यह समस्या हमारे सामने थी कि मालूम नहीं, इसमें कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स सहयोग देंगी । इसलिए प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, देश के सभी चीफ-मिनिस्टर्स और सहकारिता विभाग के जो मंत्री हैं, उनकी एक कान्फ्रेंस बुलाई गई और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों ने इसको स्वीकार करने की तैयारी की और आज कुछ राज्यों में इसको अमल में लाने की तैयारी शुरू हुई है। मुझे विश्वास है कि इस साल ये 14,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो योगदान चाहिए, वह योगदान मिलेगा और उनका योगदान मिलने के बाद यह राशि, हर राज्य को भेजी जाएगी और इसके माध्यम से हर सोसायटी को default से बाहर निकालने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम हमने उठाया है।

उपसभापति महोदय, चौथी बात इरिगेशन के बारे में है। इरिगेशन के बारे में आज तक के आंकड़ों को देखने के बाद, मुझे दुःख होता है कि इस देश में साल-दर-साल जो बजट प्रस्तुत हुए, उनमें इरिगेशन के लिए 0.25 परसेंट, 0.28 परसेंट से ज्यादा राशि कभी नहीं दी गई। खेती करने के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या है और बजट में जब हम राज्य सरकारों को एक परसेंट पैसा भी पानी के लिए नहीं दे सकते हैं, तो राज्य सरकारें किस तरह से इस काम पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं? ठीक है कि कई राज्यों ने इस पर ध्यान दिया है, कई राज्य सरकारों ने बहुत बड़े स्तर पर इसे अपने हाथ में लिया है, कहीं-कहीं से पैसा रेज़ करके एक तरह से इस काम को ताकत देने का काम कई स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, मगर भारत सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए आज इस क्षेत्र में पहली बार इसी साल 7,127 करोड़ की लागत राशि इस काम के लिए रखी गई है और जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें अच्छी तरह से ध्यान देने की तैयारी रखी है, इन सरकारों को इसके माध्यम से मदद करने का काम शुरू हुआ है। इसके साथ-साथ जहाँ आत्महत्या हुई है, उन राज्यों के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो पैकेज बनाया गया है, उस पैकेज के माध्यम से इन डिस्ट्रिक्ट्स की इरिगेशन की परसेंटेज सुधारने के लिए एक अलग तरह के प्रावधान करने की तैयारी रखी गई है। मुझे विश्वास है कि प्लानिंग एंड फाइनांस के इस बारे में अन्तिम निर्णय होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम सदन के सामने आएंगे। साथ-साथ 'भारत निर्माण' के माध्यम से भी इस काम को एक तरह से ज्यादा ताकत देने का काम शुरू हुआ है।

यहाँ एक बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बतलाई गई। यह एक बात है कि हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस तरह से तैयार होती है, इसके बारे में कहीं-न-कहीं शिकायतें आती हैं। किसानों को ठीक तरह से कीमत देने की जो टोटल सिस्टम है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, इसमें कुछ सुधार किया गया। एक स्वतंत्र आर्गेनाइजेशन अप्वायंट किया गया, इसमें आगे एक्स्पर्ट्स अप्वायंट किए गए। हर राज्य की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, इनके पास से उनकी सलाह और इंफार्मेशन मंगाते हैं। किसानों को उपज तैयार करने में जो टोटल लागत लगती है, वे उसके आँकड़े कलेक्ट करते हैं और कुछ-न-कुछ अल्टीमेट रिकमेंडेशंस करते हैं और इन रिकमेंडेशंस से भारत सरकार बाद में कुछ-न-कुछ कदम उठाती है। एमएसपी की जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है, मगर इसे नजरअंदाज नहीं करना

6.00 P.M.

चाहिए कि एमएस किया या नहीं। भारत सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करने के बाद अगर इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे मार्केट की कीमत जाएगी, तो भारत सरकार को यहाँ एंटर होकर किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसे स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री या भारत सरकार के पास हर गाँव में, हर मंडी में जाकर खरीदने की कोई मशीनरी नहीं है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, नॉफेड, हॉफेड, पंजाब फेडेरेशन, ऐसे हर स्टेट के जो फेडेरेशंस हैं, इनकी मदद लेकर हम लोग इसमें ध्यान देते हैं। इसमें भारत सरकार ने ध्यान दिया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। यहाँ सरसो के बारे में, मस्टर्ड के बारे में एक बात बतलाई गई। यह बात सच है कि राजस्थान के, हरियाणा के कुछ किसानों को मस्टर्ड की कीमत अभी तक नहीं मिली, इसके बारे में शिकायत है। इसमें सच्चाई है। मगर डा. मनमोहन सिंह की सरकार के हुकूमत में आने से पहले पूरे देश में 300 करोड़ की परचेजेज़ भारत सरकार के माध्यम से हुई थी। इसी साल केवल सरसों का जो टोटल प्रोक्योरमेंट हुआ, इसमें भारत सरकार ने 3,600 करोड़ दिया। अनुमान लगाएँ कि डिस्ट्रेस सेल से इतनी बड़ी रकम आज तक कभी किसानों को बचाने के लिए नहीं दी गई थी। आज शिकायत आ गई, इसमें थोड़ी सच्चाई है कि अभी सरसों की राजस्थान में, हरियाणा में खरीद कुछ जगहों पर बन्द की गई। यह बात सच है कि राज्य सरकार के माध्यम से हमारे पास जो रिपोर्ट दी गई थी, हम लोगों ने जो तैयारी की थी, वह तीन साल पहले कोई 300 करोड़ थी, अभी 600 करोड हो जाएगी, जो पिछले साल 2000 करोड़ हो गई, पिछले साल इसके 2000 करोड़ होने के बाद मैंने चीफ मिनिस्टर लेवल पर खुद डिसकसन किया, तो वे कहते हैं कि भाई साहब, ज़रा ज्यादा बोझ मत लाइए। उन सब लोगों ने कहा कि 2000 के आसपास, 2400 के आसपास पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा हम नहीं मांगेंगे। फिर वह 3600 हो गया। यह तो हनुमान जी के जैसे उनका काम शुरू है। इसमें पैसा रेज़ करने के लिए थोड़ा बहुत समय लगा, इसलिए कुछ राज्यों में हमने सरसों खरीदी, इसकी कीमत नहीं दी, मगर यह थोड़ा प्रमाण है। मगर मैं सदन के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मस्टर्ड किसानों को, जिन्होंने इसकी उपज की, इनकी जो पूरी रकम है, उसे हम राज्य सरकार के माध्यम से जल्द-से-जल्द देने के लिए प्रबन्ध करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें 8-10 दिन से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी तैयारी पूरी तरह से की है। अब समस्या यह आ गयी और पूरे देश में इस बारे में बहुत बहस है कि गेहूं के लिए आप ने जो किसानों को कीमत दी, इस कारण किसानों ने आप को इस साल गेहूं नहीं दिया। यह बात सच है कि प्रोक्योरमेंट पर बुरा असर हुआ। अब कीमत क्या तय की गयी? इस साल कीमत 650 रुपए तय की गयी। वर्ष 2001-2002 में कीमत 610 थी, 2002-2003 व 2003-2004 में 620 थी, फिर 630 हो गयी और इस साल के लिए यह 650 है। यह जो सी0ए0सी0पी0 की रिकमंडेशन है, इसे स्टेट गवर्नमेंट को कांफीडेंस में लेकर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की सलाह लेकर, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालकर, भारत सरकार ने स्वीकार किया। यह बात सच है कि यही कीमत थी फिर भी पिछले कई साल हम लोगों को किसान गेहूं देते थे। तो प्रोडक्शन कम हुआ? मेरे पास इस साल गेहूं के प्रोडक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वह 71.54 लाख टन की है। पिछले साल यह 68.64 लाख टन था। मगर 71.54 लाख टन प्रोडक्शन होने के बाद आज भारत सरकार का प्रोक्योरमेंट 92 लाख टन के आसपास है। हम एक्सपैक्ट करते थे कि यह 150-160 लाख टन के आसपास तक जाएगा।

श्री शरद जोशी ने जो यहां सवाल उठाए, यह बात सच है कि मैंने सदन में कहा था कि हम करेंगे क्योंकि मुझे मालूम था कि गेहूं का टोटल एरिया बढ़ा है। यह एरिया जो बढ़ा वह पंजाब, हरियाणा और वैस्टर्न यू0पी0 में बढ़ा जहां कि ट्रेडीशनली यील्ड अच्छी होती है। इस देश की गेहूं की जो जरूरत है, उसे पूरा करने की ताकत इन तीन राज्यों के किसानों ने अपने कंधों पर कई सालों से ली है। इसलिए हमारी एक्सपैक्टेशन थी कि पिछले साल से एरिया ज्यादा है, फसल अच्छी है, लेकिन एक बात सच है कि बीच में 15 दिन का ऐसा समय आ गया जिस में ठंडी हवा गायब हो गयी और गर्मी हो गयी। जब गेहूं बनने की स्टेज थी तब ऐसा मौसम आ गया जिस से नुकसान हुआ। फिर भी इतना नुकसान नहीं होगा, इस तरह की रिपोर्ट उन राज्यों के माध्यम से हमारे पास आई थी। इसलिए हमें विश्वास था कि पिछले साल से एरिया ज्यादा होने के बाद इस साल हमारा प्रोक्योरमेंट ज्यादा होगा और गेहूं की कुछ कमी नहीं आएगी। यह बात मैंने इस सदन में कही। मैं न नहीं करता क्योंकि यह इस सदन का रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर भी हम लोगों को माल नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? हालांकि पिछले दो साल की कीमत और इस साल की कीमत में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, मगर एक बात हम नजरंदाज नहीं कर सकते कि इस देश में जो सुझाव शरद जोशी ने दिए थे, उस बारे में कई कदम इस सरकार ने पिछले डेढ़ साल में लिए। नंबर एक, अब एसेंसियल कॉमोडिटीज एक्ट में प्रैक्टीकली कुछ नहीं रहा है, 4-5 आइटम्स रहे हैं। नंबर दो, इंटरस्टेट रिस्ट्रिक्शंस पूरे निकाले। नंबर तीन, स्टॉक के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस थे, वे पूरे निकालें। इस देश में फूड ग्रेंस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का नॉर्मल मूवमेंट होने की आवश्यकता है, इस सुझाव को स्वीकार किया गया। इस बारे में और कुछ करने के लिए एन0डी0ए0 सरकार ने एक मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट बनाया था जिसे पूरे देश के सभी राज्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस तरह का सुझाव नीतीश कुमार जी और राजनाथ सिंह जी जब इस देश के कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने सभी राज्यों के पास प्रपोजल भेजा था। नई सरकार आने के बाद हम लोगों ने इस बारे में सभी राज्यों के कृषि व कोऑपरेटिव मार्केटिंग मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर उस मॉडल एक्ट के बारे में बेंगलोर में डिटेल्ड डिस्कसन किया। वहां सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह बात कही कि यह मॉडल एक्ट अच्छा है और इसे हम को स्वीकार करना चाहिए। तब डिसीजन हुआ कि इस मॉडल एक्ट को सभी राज्यों ने स्वीकार किया।

मॉडल एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट में क्या सुधार किया जाए? जो पुराना एक्ट था, इसमें एक बात यह है कि किसानों को एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट की जो मंडी है, वहाँ जाकर ही अपना माल, अपना प्रोड्यूस बेचने का अधिकार है, किसान अपना माल घर में नहीं बेच सकता, बाहर नहीं बेच सकता, यह कानून था। साथ-ही-साथ एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट के अन्दर जिनको लाइसेंस दिए गए हैं, चाहे वे आढ़तिए हों या व्यापारी हों, सिर्फ वही लोग मंडी में जाकर माल खरीद सकते थे, बाकी किसी को माल खरीदने का अधिकार नहीं था। यह इसलिए आसान था कि हम लोगों ने गेहूँ के लिए कुछ कीमत तय की, एफ0सी0आई0 को भेजा, एफ0सी0आई0 ने वहाँ के लोकल स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी को साथ ले लिया। किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, वह अपना गेहूँ मंडी में ही बेचने के लिए लाता था। खरीदने वाले एफ0सी0आई0 वाले थे या HAFED वाले या पंजाब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग फैडरेशन के लोग थे और वे लोग आने वाले सारे माल को परचेज़ करते थे। इन तीन राज्यों से देश की फूड सेक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी को पूरा करने का काम होता था।

यह पहला ऐसा साल है कि इस साल जो किसानों के ऊपर निर्बंध था कि मार्केट में, मंडी में जाकर ही माल बेचना चाहिए, उस रेस्ट्रिक्शन को निकालने के बाद किसान ने सोचा कि मैं मंडी में जाऊँ या न जाऊँ, मुझे जहाँ ज्यादा कीमत मिलेगी, मैं वहाँ माल बेचूँगा। इस देश में सभी को दुनिया में कहीं भी अपना प्रोड्यूस बेचने का अधिकार है, मगर यह अधिकार किसान को नहीं था। किसान का अधिकार सिर्फ यही था कि उन्हें वहाँ ही जाकर बेचना चाहिए, उन लाइसेंस वालों को ही बेचना चाहिए, बाकी किसी को नहीं बेचना चाहिए। 18 राज्यों ने एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में सुधार किया और इससे उन्होंने किसानों को अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेचने का अधिकार दे दिया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाली और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से किसी प्राइवेट पार्टी को भी माल खरीदने की इजाजत दे दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इस साल मंडी में जो माल हमेशा आता है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर माल कम आया। यह बात सच है कि यहाँ बतलाया गया कि कोई प्राइवेट ट्रेडर हो या बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हों, इन्होंने किसानों के गाँव में जाकर, उनके खेत में जाकर, उनके घर में जाकर, जब हमारा भाव 650 था, तो उन्होंने 700 दे दिया। कई जगहों पर उन्होंने 675 दे दिया, तो कई जगहों पर 680 दे दिया। 15 दिनों के बाद, 1st अप्रैल से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया। सच बताऊँ तो प्रोक्योरमेंट की शुरूआत हमेशा वैसाखी के बाद अच्छी तरह से होती है। वैसाखी 14 अप्रैल के आसपास होती है। वैसाखी के बाद खास तौर पर पंजाब-हरियाणा में सबसे ज्यादा माल मार्केट में आता है। हमने वैसाखी के दिन 14-15 का रिव्यू ले लिया। 25 परसेंट भी माल नहीं आ रहा है। इसके बाद सभी जगहों पर, सभी राज्यों को कंटैक्ट किया गया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को कंटैक्ट किया गया कि क्या हुआ? सभी ने कहा कि आपके रेट के बारे में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आपको बोनस देने की आवश्यकता है। बोनस देने से ही किसान माल लाएगा, क्योंकि हमने आपकी सलाह से सब निर्बंध उठाए कि वह कहीं भी माल बेच सकता है। आपसे 25 रुपए ज्यादा देने की तैयारी ट्रेडर्स ने कर रखी है और इसलिए आज ट्रेडर्स के पास माल जा रहा है। आप जल्दी-से-जल्दी बोनस जारी करिए। उन लोगों ने हम लोगों को 16 तारीख को यह सूचना दी। हम लोगों ने इस बारे में बैठ कर डिसीज़न दे दिया। मुझे लगता है कि 19 या 20 तारीख को 50 करोड़ रुपए और ज्यादा बोनस देने की अनाउंसमेंट की गई। यह बोनस देते समय जिन किसानों ने हमें इससे पहले गेहूँ दिया है, उनको भी बोनस की रकम दी जाएगी, यह विश्वास दिया गया। इसके कारण आज भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय पर 780 करोड़ के आस पास का बोझ पड़ा है। हमने 700 रुपए कीमत तय की, जो इससे पहले कभी कीमत नहीं थी। जब हमारी कीमत 700 रुपए हो गयी, तो इन सभी ट्रेडर्स या बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ या बड़ी कम्पनियाँ, जिनमें रिलायंस है, आडानी है, आई0टी0सी0 है और आस्ट्रेलियन यूनिट बोर्ड, जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ, वह भी है, इनकी 750 हो गई। हमने एवरेज़ निकाला, मध्य प्रदेश में एवरेज़ रेट निकाला, तो वह between 775 to 825 मिला। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट में रेस्ट्रिक्शन निकालने के बाद किसानों को अपनी ऊपज मंडी में जाकर गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा जो कीमत तय की गई, उसी कीमत पर देने की जो जिम्मेदारी थी या बंधन था, वह बंधन निकाला गया। इसका फायदा यह हुआ कि देश में पहली बार किसानों को ज्यादा कीमत मिली। कहीं भी डिस्ट्रेस सेल की बात नहीं है। मैंने खुद पंजाब की, हरियाणा की मंडी में जाकर देखा है। जब यह इम्पोर्ट का डिसीजन हुआ था, तो इम्पोर्ट का डिसीजन होने के बाद मुझे लगा था कि मैं पंजाब में और

हरियाणा में जाऊंगा, तो किसानों की बहुत रिएक्शन आएगी, मगर मैंने कई जगहों पर किसानों से पूछा, तो वे बोले कि आपने इम्पोर्ट किया, वह अच्छा नहीं किया, परन्तु हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप इम्पोर्ट करें या न करें, आपकी कीमत से हमें ज्यादा कीमत मिल रही है, इसलिए हमें कोई एतराज नहीं है।

महोदय, इस देश में इम्पोर्ट करने का डिसीजन होने के बाद स्टेटमेंट निकले, कोई एजीटेशन पोलिटिकल पार्टीज ने की, किसान संगठन ने किए, मगर किसानों की कोई शिकायत हमारे पास किसी राज्य से ऐसी नहीं आई कि जहां किसानों को अपनी उपज की कीमत न मिली हो या डिस्ट्रेस सेल हो गए। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई, क्योंकि पहली बार किसानों को अपनी मर्जी से अपना माल बेचने का अधिकार रहा और जो कीमत उनको ठीक लगी, उस कीमत पर उन्होंने अपना माल बेचने का काम किया।

महोदय, सवाल पूछा गया कि आपको इम्पोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी, तो एमएसपी एनाउन्स करने के बाद भारत सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। हमने 650/-रुपए एमएसपी एनाउन्स की, इसके नीचे कीमत नहीं जानी चाहिए और इसके नीचे कीमत नहीं गई, इसके ऊपर ही गई, कई जगह तो 800/- रुपए तक गई। फिर 700/- रुपए करने के बाद भी सरकार को माल नहीं मिला, क्योंकि कौन किसान ऐसा है कि 700/- रुपए हम कीमत देने के तैयार हैं और वह 600/- रुपए या 650/-रुपए में अपना माल बेचेगा? वह भी समझता है कि इकोनोमिक्स क्या होता है अपना-अपना। हमारे द्वारा 700/- रुपए कीमत तय करने के बाद उसको किसी ने तो 700/-रुपए से ज्यादा कीमत दी होगी, इसलिए उन्होंने हमें माल नहीं दिया। इसके साथ ही मुझे यह भी बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मेरे पास ऐसी इंफोरमेशन है कि कुछ किसानों ने अपने पास स्टॉक रखा है, कुछ ट्रेडर्स ने भी स्टॉक रखा है, मगर ट्रेडर्स का इसमें परसेंटेज ज्यादा है और यह स्टॉक रखकर आगे आम लोगों को, कंज्युमर्स को एक्सप्लायट करने की परिस्थिति पैदा करने की नौबत आ सकती है। इसे रोकने के लिए हमारा जो स्टॉक, खासकर बफर स्टॉक कम हुआ, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता थी, सुधार करने की आवश्यकता थी। यहां बात की गई कि क्यों इतने पैसे आप आस्ट्रेलियन कंपनी को देते हैं या किसी को देते हैं? हमको यह देखना होगा कि किसानों को उनकी उपज की जो कीमत मिलनी चाहिए, वह जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है और इसके साथ ही साथ कंज्युमर्स के इंस्टरेस्ट को भी सेफ करने की जिम्मेदारी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस देश में टोटल फार्मर्स, लैंड होल्डर्स की संख्या दस करोड़ की है, जबकि सौ करोड़ का यह देश है, अब इन सभी लैंड-होल्डर्स की अपने अनाज की समस्या अपने खेतों से पूरी होती है, ऐसी बात नहीं है, साऊथ के जो किसान हैं, किसान परिवार हैं, उनको कभी चावल लगता है, कभी गेहूं लगता है, तो वहां तो गेहूं पैदा नहीं होता, वह पंजाब से या हरियाणा से या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से वहां भेजना पड़ता है, तब वह किसान परिवार भी कंज्युमर होता है। तो एक तरह से किसान खुद कंज्युमर होता है, प्रोड्युसर भी होता है और किसान परिवार को छोड़कर बाकी जो देश की टोटल आबादी है, इसके फूड पूर्ति के लिए पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और वह जिम्मेदारी अगर नजरअंदाज नहीं करनी हो, तो हमारे पास बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जो आवश्यकता हो, वह आवश्यकता पूरी करने के लिए जो कुछ कदम उठाने की तैयारी होनी चाहिए, वह तैयारी रखने की आवश्यकता है। हमने दोनों स्टडी किए, एक यह कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास 20 लाख टन का

यह था, एस्टीमेट प्रोक्योरमेंट 95 लाख का मैंने तय किया, 92 लाख अभी तक हुआ है। इम्पोर्ट के बारे में हमने तय किया 3.5 मिलियन टन, 35 हो गया और टोटल अवेलेबिलिटी सैंट्रल पूल में 150 के आसपास हो गई, देश की जरूरत है 140 लाख टन की। देश को 140 लाख टन के आसपास की जरूरत है और 150 लाख टन का स्टॉक है। मैं यह बात नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं कि मान लीजिए कल को मानसून में कुछ बिगाड़ हो जाए और एक दो राज्यों में सूखे की समस्या पैदा हो जाए, तो वहां की भूख की समस्या को दूर करने के लिए मुझे ज्यादा स्टॉक स्टोर करने की आवश्यकता है, बफर स्टॉक की आवश्यकता है और यह करने के लिए जहां हमने इम्पोर्ट का डिसीजन लिया, वहीं साथ ही साथ सभी राज्यों, चाहे आंध्र हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब आदि सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से कॉन्टक्ट करके हमने उनको एक बात बतलाई कि आपका खरीद सीजन शुरु होने वाला है, खरीद के लिए आप जो कुछ धान के लिए करेंगे, इसके साथ-साथ कोर्स ग्रेन के बारे में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मेरे पास कोर्स ग्रेन का 110 लाख टन से ज्यादा, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, इनका भी स्टॉक है और मुझे विश्वास है कि आगामी जून में, मानसून के बारे में शुरु में जो भी अंदाज आए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी है, इससे स्थिति संतोषजनक लगती है, अच्छी लगती है और यह स्थिति ऐसी ही रहेगी तो कोर्स ग्रेन का भी एरिया बढ़ेगा और इस साल कोर्स ग्रेन चाहे राई हो, बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, इसको परचेज़ करने की, खरीदने की तैयारी हमने आज से रखी है और मुझे विश्वास है कि इनमें से भी कुछ माल हमारे हिस्से में आएगा और देश के कई राज्यों में और खासकर गांवों में, गेहूं से ज्यादा डिमांड आज ज्वार की, बाजरे की या मक्का की है और ये इसे खरीदने में लगे हैं, यह वहां के लोगों की आदत है। इस तरह से हम लोगों ने काम शुरु किया है।

यह बात कही गई कि जब किसानों का माल मार्किट में आने का समय हुआ, तब आपने एनाउंसमेंट क्यों की थी और पहले 5 लाख टन की की, बाद में 20 लाख टन की क्यों की थी? यह तो हम भूल नहीं सकते कि भारत जैसा बड़ा देश शुरु में अगर 2 मिलियन्स टन या 3 मिलियन्स टन खरीदने के बारे में एनाउंस करेगा तो इंटरनेशनल मार्किट में प्राइस पर क्या असर होगा, क्या कीमत वही रहेगी? इसलिए जरा समझदारी से करना होता है। इसमें अलग-अलग रास्ते हैं, हेजिंग होता है, न्यूयार्क मार्किट में हमने एंट्री करके वहां भी कुछ काम किया। देश के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की और गरीब लोगों के लिए अनाज की जिम्मेदारी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे स्टॉक रखना ही होगा और उस स्टॉक को रखने के लिए मुझे इम्पोर्ट करना पड़ा। अब इम्पोर्ट की कीमत क्या हो और यहां के गेहूं की कीमत क्या हो, इस बारे में देश में बहुत बहस हो रही है। एक बात आप भूल नहीं सकेंगे कि जब गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, तो मुझे लास्ट प्वाइंट पर इसकी कीमत क्या होगी, इस पर ध्यान देना पड़ता है। यह बात सच है कि पंजाब में हो सकता है कि लगभग 700 रुपए हो, मगर पंजाब के गेहूं को वहां से परचेज़ करने के बाद वहां की मंडी का चार्जिज़, गनी बैग, रैक, सेल्स टैक्स, लेबर हैंडलिंग, इंटरनल मूवमेंट, वहां से चाहे मुम्बई हो, गुजरात हो, आंध्र हो या केरल हो, वहां तक का ट्रांसपोर्ट का खर्च और फिर वहां एक साल के लिए गोदाम में रखने का इंटरेस्ट, इन सभी की टोटल कास्ट, पिछले कई सालों से निकालने की जो पद्धति है, इसके माध्यम से जो डिस्ट्रिब्यूशन को जाने वाला हमारा गेहूं है, इसकी कीमत आज भारत सरकार को 11,200 रुपए टन पड़ती है यानी 1120 रुपए अल्टीमेट प्राइस, जो भारत सरकार को पड़ती है पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लास्ट सैंटर तक वह गेहूं पहुंचाने

के लिए और जो विदेश से गेहूं आने वाला है, इसकी कीमत, क्योंकि वह पंजाब से आने वाला नहीं है, वह डायरेक्ट शिप से आएगा चैन्नई में या विशाखापट्टनम में या मुम्बई में या कांडला में या कारवार में और जो आएगा, उसको पूरे साल हम रखने वाले नहीं हैं। उसके आने के बाद इमिडिएटली उसका डिस्ट्रिब्यूशन हम करेंगे, उसी एरिया में, जिससे गोदाम चार्जिस, इंटरेस्ट, स्टोरिंग चार्जिज़ का बोझ सरकार के ऊपर नहीं आएगा। और इसलिए डोमेस्टिक व्हीट, जिसकी कीमत हमें यहां पर पर्चेज़ करके राज्यों में भेजने के बाद 1120/- रुपये प्रति क्विंटल पड़ती है या 11,200/- रुपये प्रति टन पड़ती है, लेकिन जो गेहूं सरकार ने बाहर से पर्चेज़ किया है, उसकी कीमत उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने तक 997/- रुपये प्रति क्विंटल, अर्थात् 9,978/- रुपये प्रति टन पड़ेगी। हमने जो पहले पांच लाख टन के पर्चेज़िज़ किए, हमारी बचत उनसे 399 करोड़ रुपये होगी। यहां पर मैं सेविंग की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब मुझे उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित करना है, तब मुझे यह भी देखना होगा कि उसकी कीमत इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि बिल सब्सिडी से ज्यादा आ जाए, आप इस बात को नहीं भूल सकते। सदन के सामने मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पिछले ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : अगर आप पांच मिनट के लिए यील्ड करते हैं तो Shri Mani Shankar Aiyar has to make a Statement because he has to go.

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendtions contained in the Fourth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Rural Development

and

Status of implmentation of recommendations contained in the Twelfth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Rural Development

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): Sir, I lay a copy of each of the statements.

SHORT DURATION DISCUSSION

Import of wheat and agrarian distress - *Contd.*

श्री शरद पवार : इसलिए जो गेहूं बाहर से आया है, कंज्यूमर को उसकी जो अल्टीमेट कीमत पड़ने वाली है, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को भेजने के बाद जो टोटल कॉस्ट आएगी, यह पहले वाली कॉस्ट से कम है और इससे 399 करोड़ रुपये की बचत होने वाली है।